

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil Second Appeal No. 158/2015

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अनुबोध जैन।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्रीमती गायत्री राठौड़।

:: आदेश ::

24.08.2018

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के लिये समय चाहा। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने समय दिये जाने हेतु ऐतराज किया। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को **151/-** रुपये की कोस्ट पर बहस के लिये **अंतिम अवसर** दिया जाता है।

पत्रावली दिनांक **13.09.2018** को सूचीबद्ध की जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-